न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—2025 / 05

सरकार जरिये मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम्

श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री पृथ्वीराज निवासी वार्ड नं.—08 घडसाना
(महावीर प्रसाद वेज एंड नॉन वेज होटल)

—अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए

—:निर्णयः— दिनांकः—04.07.2025

यह इस्तगासा **मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि दिनांक—23.09.2024 को **प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़** घडसाना स्थित फर्म / होटल महावीर प्रसाद वेज एंड नॉन वेज होटल पर पहुँचें। जांच के दौरान होटल पर **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री पृथ्वीराज निवासी वार्ड नं.—08 घडसाना** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। श्री महावीर प्रसाद की उपस्थिति में होटल की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर वेज एंड नॉन वेज होटल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से एवं 01 घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हे से जुड़ा पाया गया। दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। श्री महावीर प्रसाद ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा प्रतिष्ठान पर वेज एंड नॉन वेज बनाने मे व्यावसायिक कार्य मे उपयोग किया जाना बताया। श्री महावीर प्रसाद द्वारा उक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है, पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री महावीर प्रसाद के पास नहीं मिला।

फर्म महावीर प्रसाद वेज एंड नॉन वेज होटल घडसाना पर पाये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगूलेटर को जरिये फर्द जब्ती किये गये एवं जय सालासर भारत गैस एजेन्सी घडसाना के कार्मिक दिनेश कुमार पुत्र देवराज उम्र 43 जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं.—12 घडसाना, आधार संख्या—754427094614, मो. 9001511345 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री पृथ्वीराज निवासी वार्ड नं. —08 घडसाना** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी, रेगुलेटर पाईप एक चुल्हा मय रेगुलेटर पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी को सूचित होने के उपरांत भी अनुपस्थित होने के कारण न्यायालय के द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी महावीर प्रसाद द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य / सबूत / दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्सावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री**

वीराज **निवासी वार्ड नं.–08 घडसाना** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1) (क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक भट्टी मय रेगुलेटर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री पृथ्वीराज निवासी वार्ड नं.–08 घडसाना** की दुकान से जब्तशुदा (फर्द मौका जब्तीनुसार) 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक भट्टी मय रेगुलेटर पाईप एक चूल्हा मय रेगुलेटर पाईप को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ